लखन लाल बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।

(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-1752/1998)

16.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री दिलीप सिंह सिनसिनवार, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्री एम.एल गोयल, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

तहसीलदार, चौथकाबरवाड़ा जिला- जयपुर ने आदेश दिनांक- 29.11.1990 द्वारा प्रार्थी को खसरा संख्या-1749 की भूमि रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा पर 2047 से अतिक्रमी मानते हुए उसे उक्त आराजी से बेदखल करने तथा 124 रूपये शास्ती व दो माह अर्थात 60 दिवस सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया था । उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थी ने जिलाधीश, सवाई माधोपुर व राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष अपीलें तथा राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की एवं उक्त अपीलों एवं निगरानी में असफल होने के उपरान्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह रिट याचिका प्रस्तुत की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये उक्त निष्कर्षों को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को आद्योपांत सुना तथा अभिलेख को परीक्षित किया।

निश्चित तौर पर प्राथी ने विवादित भूमि पर दो बार अतिक्रमण किया है और तहसीलदार, चौथकाबरवाड़ा ने आक्षेपित निर्णय में जो निर्देश दिए हैं उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती, किन्तु 16 वर्ष गुजर जाने के उपरान्त अब प्रार्थी को सिविल कारावास भेजा

जाना उचित प्रतीत नहीं होता, इसलिए यह रिट याचिका निम्न प्रकार निस्तारित की जाती है:-

(1) प्रार्थी इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने से 30 दिवसों के भीतर-भीतर जिलाधीश, सवाई माधोपुर के समक्ष अपना शपथ पत्र एवं अभिवचन (Undertaking) इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि वह विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेगा तथा भविष्य में किसी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करेगा।

(2) प्रार्थी शास्ती के रूप में 2000/-रूपये जमा करायेगा।

(3) यदि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया जाता है तथा उपरोक्तानुसार तीस दिवस की अवधि में शास्ती की राशि, शपथ पत्र व अभिवचन प्रस्तुत कर दिये जाते हैं तो प्रार्थी को सिविल कारावास नहीं भेजा जावेगा।

(4) याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(5) इस आदेश की एक प्रतिलिपि जिलाधीश, सवाई माधोपुर को प्रेषित की जावे।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)